ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना– दिशा–निर्देश

1.0 प्रस्तावना

1.1 वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं जो 5 किमी से अधिक दूरी से आ रही है, उन्हें ट्राँसपोर्ट वाउचर की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2016–17 से ग्रामीण क्षेत्र के राउमावि में वाँछित संकाय/विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 की बालिकाओं को विद्यालय में अध्ययन हेतु उनके निवास स्थान से 5 किमी. से अधिक दूरी से आने पर अधिकतम 20 रूपये प्रति छात्रा प्रति विद्यालय उपस्थिति दिवस या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार ट्राँसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। योजनान्तर्गत बालिका एकल व सामूहिक ट्राँसपोर्ट सुविधा का लाभ ले सकती है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साईकिल योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराया जा रहा है। छात्रा उक्त दोनों योजनाओं में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है।

1.2 राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है।

1.3 पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में आसपास के गांवो/ढाणियों से कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाऐं भी अध्ययन हेतु आयेंगी।

1.4 पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में उसी पंचायत समिति की बालिकाओं को भी ट्राँसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

2.0 ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता

2.1 ग्रामीण क्षेत्र के अन्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाऐं।

2.2 ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाऐं।

2.3 पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत निम्नलिखित श्रेणी की बालिकाऐं योजना के लाभ हेतु पात्र होगी।

- III. उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की 2 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाऐं।
- IV. उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाऐं।

2.4 साईकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली बालिकाऐं इस ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।

3.0 ट्राँसपोर्ट योजना के तहत स्वीकृत राशि की दर

I. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु:–

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 11 से 12	5 किमी से अधिक	20 रूपये

II. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु:–

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 9 से 12	5 किमी से अधिक	20 रूपये

III. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु–

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 6 से 8	2 किमी. से अधिक	20 रूपये
कक्षा 9 से 12	5 किमी. से अधिक	25 रूपये

4.0 ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन

4.1 ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा किया जावेगा।

4.2 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा आवश्यकतानुसार छात्रओं का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षिणक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिये किराये के वाहन से स्थानीय सामूहिक ट्रॉंसपोर्ट की व्यवस्था की जावेगी।

4.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के द्वारा सामूहिक ट्रॉंसपोर्ट के लिये मासिक किराये का निर्धारण करके ट्रॉंसपोर्ट सुविधादाता से अपने स्तर पर बिन्दू संख्या 3 में दर्शायी गई राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक है तो जनसहभागिता/भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जावेगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह/जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित छात्राओं के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।

4.4 अभिभावक द्वारा सामूहिक ट्रॉंसपोर्ट सुविधा नहीं लेने की स्थिति में लिखित में आवेदन प्रस्तुत करने पर छात्राओं को बिन्दू संख्या 3 में वर्णित अनुसार राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

5.0 ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबंधन

5.1 ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को किश्तों में राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

5.2 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) को राशि की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।

5.3 ट्रॉंसपोर्ट वाउचर हेतु राज्य सरकार से अग्रिम राशि जारी की जाती है लेकिन किसी कारण से देरी होती है, तो संस्थाप्रधान विद्यालय के विकास कोष/विद्यार्थी कोष से अग्रिम भुगतान करेगा तथा परिषद से राशि प्राप्त होने पर समायोजन किया जावेगा।

6.0 ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया

6.1 बिन्दू संख्या 2 के अनुसार पात्र छात्राओं/उनके अभिभावकों द्वारा ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

6.2 संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों की जॉच कर ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ देने हेतु निर्णय कर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) को अवगत कराया जायेगा।

6.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा ट्राँसपोर्ट सुविधा दाता को व्यवस्था के अनुसार निर्धारित राशि का एक मुश्त मासिक भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से नियमानुसार किया जावेगा।

6.4 यदि छात्राओं द्वारा ट्राँसपोर्ट की व्यवस्था अपने स्तर से की जाती है तो विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा वास्तविक किराया अथवा बिन्दू संख्या 3 में वर्णित अनुसार राशि जो भी कम हो, उसका एक माह का अग्रिम भुगतान छात्राओं को किया जा सकेगा।

6.5 छात्राओं को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन स्वीकृत राशि की सीमा के तहत अगले माह में किया जावेगा।

6.6 एसडीएमसी/एसएमसी द्वारा छात्राओं को क्रिया जाने वाला भुगतान उनके भामाशाह खाता/बचत खाते में जमा कराया जायेगा। नकद राशि वितरित नहीं की जावे।

7.0 ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण

7.1 ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण निम्नानुसार किया जायेगा–

(IV) राज्य स्तर– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, द्वारा।

(V) जिला स्तर– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति द्वारा।

(VI) विद्यालय स्तर– विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा।

8.0 प्रगति की सूचना

8.1 SDMC द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संलग्न प्रारूप में प्रगति की सूचना जिले के माध्यम से परिषद को भिजवायी जानी है।

9.0

9.1 सत्र 2015–16 में जिलों में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत शेष राशि का उपयोग सत्र 2016–17 में कर सकेंगे।

9.2 सभी जिले योजना हेतु तीन माह की आगामी माँग जुलाई, 2016 में परिषद् मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(जस्सा राम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक : रा.मा.शि.प./जय/योजना/ट्राँसपोर्ट वाउचर/2016–17/ दिनांक :

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
4. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (रमसा), समस्त जिले।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
7. रक्षित पत्रावली।

25/6/16

अतिरिक्त आयुक्त

ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र

1. छात्रा का नाम :–
2. पिता / अभिभावक का नाम :–
3. विद्यालय का नाम :–
4. कक्षा :–
5. निवास स्थान :–
6. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी :–
7. ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :–

   (i) विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) / विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के माध्यम से ट्राँसपोर्ट व्यवस्था

   या

   (ii) स्वयं के स्तर पर ट्राँसपोर्ट व्यवस्था
8. अन्य जानकारी (जो देना चाहे)

(छात्रा के हस्ताक्षर)

(अभिभावक के हस्ताक्षर)

ट्राँसपोर्ट वाउचर योजना की मासिक सूचना का प्रपत्र

(राशि लाखों में)

क्र. स.	जिले का नाम	ट्राँसपोर्ट वाउचर सुविधा प्राप्त करने वाली बालिकाओं की संख्या	जिले को पूर्व में भेजी गयी कुल राशि	गत माह तक का व्यय	रिपोर्टिंग माह का व्यय	जिला स्तर पर शेष राशि	आवंटित की जाने वाली राशि